समाहरणालय, दरभंगा

(जिला स्थापना शाखा)

—: आदेश :—

जिला स्क्रीनिंग समिति—सह—जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक—08.06.2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या—7566 वि0/02 दिनांक—14.07.10, संकल्प संख्या—8594 वि0(2) दिनांक—17.08.12 एवं अधिसूचना ज्ञापांक— 5152/ वि0 दिनांक—21.05.13 के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2010 के अधीन 20 वर्षों की सेवा पूरी हो जाने एवं प्रतिकूल चारित्रिक अभ्युक्ति संसूचित नहीं रहने के फलस्वरूप निम्नलिखित कर्मियों को उनके नाम के सामने कॉलम—4 में अंकित तिथि से एवं ग्रेड पे में द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ देने का आदेश दिया जाता है। संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम—22(1)(A)(1) के अधीन नियत किया जायेगा।

क0 सं0	नाम एवं पदनाम	नियुक्ति की तिथि	द्वितीय वित्तीय उन्नयन, तिथि एवं ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रामनाथ चौधरी, लिपिक	31.03.90	31.03.10 ग्रेड पे—4600	
2	श्री अरूण कुमार चौधरी, लिपिक	10.05.89	10.05.09 ग्रेड पे—4600	इस शर्त्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है कि वेतन निर्धारण एवं वित्तीय लाभ भुगतान से पहले, पूर्व से संपुष्टि को सेवा पुस्त में दर्ज कर लिया जायेगा।
3	श्री योगेन्द्र साहु, लिपिक	08.07.85	08.07.09 ग्रेड पे—4600	
4	श्री फहीम असलम, जनसेवक	03.12.91	03.12.11 ग्रेड पे—4600	
5.	श्री नवल कुमार भगत, जनसेवक	09.11.85	01.01.09 ग्रेड पे—4600	
6	श्री हरिशंकर प्रसाद, जनसेवक	03.12.91	03.12.11 ग्रेड पे—4600	
7	श्री आमोद कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी	06.07.90	06.07.10 ग्रेड पे—4600	
8	श्री अजयचन्द्र चौधरी, राजस्व कर्मचारी	07.10.91	07.10.11 ग्रेड पे—4600	

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अधीनस्थ कर्मियों को वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने से पहले यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित कर्मियों के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही संचालित नही हो। साथ ही संबंधित कर्मियों से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लेंगे कि किसी प्रकार की त्रुटि या भूल के कारण यदि अधिक राशि का भुगतान किया जाता है तो उक्त राशि संबंधित कर्मी से वसूलनीय होगी।

ह0/-

स्थापना उप समाहर्त्ता,
दरभंगा।

ज्ञापांक—02—53/13—14— 914 /स्था0, लहेरियासराय, दिनांक 01 वीं ~~जून~~ जुलाई 2016 ।

प्रतिलिपि :— संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/उप कोषागार पदाधिकारी, बेनीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

स्थापना उप समाहर्त्ता,
दरभंगा।